

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं० 34
उत्तर देने की तारीख - 06 दिसंबर, 2013

मोबाइल फोन से होने वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण

*34. श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन :

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मोबाइल फोन का अत्यधिक प्रयोग करने के दुष्प्रभाव के रूप में लोगों में मानसिक एवं शारीरिक रोग पैदा हो रहे हैं ;
- (ख) क्या मोबाइल फोन से होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण से कैंसर, रसोली, मानसिक असंतुलन, स्मरण शक्ति में कमी, सिरदर्द, चक्कर आना तथा व्यक्ति के डी०एन०ए० तक के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
- (ग) क्या सरकार लोगों को इन प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए अथवा लोगों में इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कोई कदम उठा रही है या उठाने जा रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)

(क) से (घ): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

जारी...2/-

राज्य सभा में " मोबाइल फोन से होने वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण " के बारे में दिनांक 06.12.2013 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० 34 के भाग (क) से (घ) के संबंध में सभा-पटल पर रखा जाने वाला विवरण।

(क) तथा (ख) : मोबाइल फोनों से उत्सर्जित होने वाले वैद्युत चुम्बकीय फील्ड (ईएमएफ) विकिरण के कारण मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को सिद्ध करने के लिए अभी तक कोई निर्णायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध अध्ययन सामग्री की समीक्षा से ऐसा कोई निर्णायक साक्ष्य सिद्ध नहीं हुआ है कि मोबाइल फोनों से होने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी ईएमएफ विकिरण से सुरक्षा अथवा खतरे विशेषकर मस्तिष्क असंतुलन, ट्यूमर, कैंसर, डिमेंरिया, सिरदर्द, सिरचक्कर आदि प्रभाव पड़ते हैं। मोबाइल फोनों के प्रयोग से रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों, यदि कोई हैं, के संबंध में अध्ययन जारी हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (आईएआरसी) ने दिनांक 31 मई, 2011 की प्रेस विज्ञप्ति में " रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को (मोबाइल हैंडसेट के) मानव शरीर पर संभावित रूप से कार्सिनोजेनिक (समूह 2बी) के रूप में वर्गीकृत किया है जो वायरलैस फोन के प्रयोग से ग्लोओमा, एक प्रकार के घातक मस्तिष्क कैंसर के खतरे को बढ़ाता है।

बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने जून, 2011 में अपने तथ्य पत्र संख्या 193 में यह बताया है कि ऐसे व्यक्तियों को ग्लोओमा से खतरे की संभावना अधिक होती है जो सेल फोन प्रयोग के संचयी घंटों का अधिकतम 10% संचयी घंटों तक इस्तेमाल करते हैं, हालांकि अधिकतर घंटों के प्रयोग के साथ-साथ खतरे के बढ़ने की संभावना की स्थायी प्रवृत्ति नहीं देखी गई। अनुसंधानकर्ताओं का यह निष्कर्ष है कि पूर्वाग्रह और त्रुटियां इन निष्कर्षों के प्रयोग को सीमित कर देती हैं और अनियमित व्याख्याओं से बचाव करती है। मोटे तौर से इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आईएआरसी ने रेडियो फ्रीक्वेंसी वैद्युत चुम्बकीय फील्ड को संभावित "कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमैन " (समूह 2बी) के रूप में वर्गीकृत किया है और यह एक ऐसी श्रेणी है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब कारण बताने वाले साथी को विश्वसनीय माना जाता है लेकिन जब संयोग हो तो पूर्वाग्रह अथवा सन्देहजनक स्थिति को युक्तियुक्त विश्वास के साथ नकारा नहीं जा सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी बताया है कि पिछले तीन दशकों में मोबाइल फोनों के प्रयोग से स्वास्थ्य पर होने वाले संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए बड़ी संख्या में अध्ययन किए गए हैं। आज तक यह सिद्ध नहीं हो सका है कि स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव मोबाइल फोनों के प्रयोग के कारण हुआ है।

(ग) तथा (घ) दूरसंचार विभाग द्वारा ईएमएफ विकिरणन मामलों के संबंध में गठित अंतर-मंत्रालीय समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड (बेस स्टेशन उत्सर्जन) की विकिरणन सीमा को घटाकर 01.09.2012 से अंतर्राष्ट्रीय गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण आयोग " (आईसीएनआईआरपी) द्वारा निर्धारित मौजूदा सुरक्षित सीमा का 1/10 वां भाग कर दिया गया है। मोबाइल हैंडसेट की विशिष्ट अवशोषण दर (एसएआर) को दिनांक 01.09.2013 से घटाकर आईसीएनआईआरपी द्वारा निर्धारित 2 वाट/किलो की बजाए औसतन एक ग्राम मानव उत्तक पर 1.6 वाट/किलो किया गया है।

इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) ने सितंबर, 2013 में एक विशेषज्ञ समिति/कार्य बल का गठन किया है जो मोबाइल टावरों और हैंडसेटों से होने वाले विकीरणन एक्सपोजर का जीवन पर (मानव, जीवित आर्गनिज्म, वनस्पति व जीव-जन्तु और पर्यावरण) संभावित प्रभाव संबंधी अनुसंधान और विकास प्रस्तावों और अन्य पहलों का मूल्यांकन करेगी।

इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद सेल फोन से होने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी विकिरणन यदि कोई हो, का भारतीय जनसंख्या के वयस्क व्यक्तियों पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव का पता लगाने के लिए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहु-विषयक "कोहार्ट" अध्ययन भी कर रही है।

जनता को जागरूक बनाने के लिए दूरसंचार विभाग ने "मोबाइल प्रयोक्ताओं के लिए बचावकारी दिशा-निर्देश" जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग ने मोबाइल टॉवरों और हैंडसेटों से उत्सर्जित होने वाले ईएमएफ विकिरण से बचाव सुनिश्चित करने के लिए जनता में जागरूकता फैलाने हेतु राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा, आम जनता की जानकारी के लिए "मोबाइल संचार-रेडियो वेव और सुरक्षा" नामक एक हैंडबुक भी जारी की गई है। ये दस्तावेज दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
